

न्यायालय:-न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला जिला बैतूल(म0प्र0)
(पीठासीन अधिकारी-धन कुमार कुड़ोपा)

दा0प्र0क0-218 / 10
संस्थित दि0 10 / 05 / 10
फाईलनं0 23350400252010

मध्य प्रदेश शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र,
 थाना आमला, जिला बैतूल (म0प्र0)

-----अभियोजन.

--: विरुद्ध :-

अर्जुनसिंह पिता धौकलसिंह तोमर, उम्र 40 वर्ष,
 जाति ठाकुर, पेशा डायवर, नि0 भीमनगर बोड़खी,
 थाना आमला, जिला बैतूल (म0प्र0),

-----अभियुक्त.

--: निर्णय :-

(आज दिनांक-26 / 09 / 2016 को घोषित)

1- अभियुक्त अर्जुनसिंह के विरुद्ध भा0दं0वि0 की धारा 304 "ए" के तहत अभियोग है कि दिनांक 30/03/10 के दिन के करीब 03:45 बजे कनौजिया मंदिर के सामने आमला जम्बाड़ा रोड पर शिवम् बस कं. एम.पी. 04 एच 7196 का चालक होते हुये उक्त बस को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक तरीके से संचालित कर पार्वतीबाई को गिराकर ऐसी मृत्यु कारित की जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती।

2- अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि सूचनाकर्ता थाना आमला में प्र0आर0 गस्ती के पद पर पदस्थ है। उसके द्वारा थाना आमला के मार्ग क्रं. 20/10 174 सी.आर.पी.सी. की जांच किया। मार्ग जांच गवाह चश्म. मृतिका के पति किसना वागद्रे, मृतिका की बहन कमलबाई देशमुख नि0 लालावाड़ी के कथन लिये जिन्होंने बताया कि दिनांक 30/03/10 को किसना व उसकी पत्नी मृतिका पार्वतीबाई शिवम् बस कं. एम0पी0 04 एच 7196 से आमला जा रहे थे कनौजिया मंदिर के सामने बस खड़ी हुयी तभी किसना उतरा व पार्वतीबाई उतरने लगी तभी बस के चालक ने तेजी व लापरवाही से बस चलाई जिससे मृतिका गिर गई चक्के से टकराने से उसे कमर जांघों पर चोटें आई जो श्योरटेक अस्पताल धनतोली नागपुर में दौराने ईलाज पार्वती की मृत्यु हो गई। दिनांक 20/04/10 को जरिये डाक थाना धनतोली नागपुर से मृतिका पार्वतीबाई की मृत्यु बाबत 0/10 धारा 174सी.आर.पी.सी. की डायरी

असल नं. पर कायमी हेतु प्राप्त हुयी। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0 9 तैयार किया गया। जिसके आधार पर अप0क्रं. 86/10 अंतर्गत धारा 304 'ए' भा0द0वि0 का अपराध पंजीबद्ध किया गया। मर्ग खबर प्र0पी0 10 है। इन्डेक्स पंचनामा प्र0पी011 है। समंस प्र0पी0 12 है। दिनांक 20/04/10 का घटना स्थल का नक्शा मौका प्र0पी0 1 तैयार किया गया। दिनांक 21.04.10 को सम्पत्ति जप्ती पत्रक प्र0पी04 तैयार किया गया। साक्षियों के कथन उनके बताए अनुसार लेखबद्ध किए गए। अभियुक्त को गिरफ्तार कर, गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी0 5 बनाया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3— अभियुक्त के विरुद्ध धारा 313 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत अभियुक्त का अभियुक्त परीक्षण किया गया। अभियुक्त ने अपने अभियुक्त परीक्षण में कहा कि वह निर्दोष है, उसे झूठा फंसाया गया है। बचाव पक्ष ने अपने बचाव में कोई बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

4— न्यायालय के समक्ष यह विचारणीय प्रश्न यह है कि:—

1— “आपने दिनांक 30/03/10 के दिन के करीब 03:45 बजे कनौजिया मंदिर के सामने आमला जम्बाड़ा रोड पर शिवम् बस क्रं. एम.पी. 04 एच 7196 का चालक होते हुये उक्त बस को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक तरीके से संचालित कर पार्वतीबाई को गिराकर ऐसी मृत्यु कारित की जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती?”

—: निष्कर्ष एवं उसके आधार :— विचारणीय प्रश्न क0 1 का निराकरण

5— अभियोजन साक्षी कृष्णा (अ0सा01) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि घटना दिनांक को उसकी पत्नी हनुमान मंदिर कनौजिया प्रसादी लेने के लिए आरोपी अर्जुन की बस में बैठकर आ रहे थे जैसे ही बस मंदिर के पास पहुँची तो वहां पर रुकी वह बस से नीचे उतर गया था उसकी पत्नी पार्वतीबाई जब बस से उतर रही थी तो वह नीचे गिर गई थी तो उसके उपर से बस चली गई जिससे उसे चोट आई। उसकी पत्नी की दुर्घटना किसी की गलती से नहीं हुई। शासन की ओर से इस गवाह को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने इस गवाह ने स्पष्ट रूप से यह अस्वीकार किया है कि आरोपी अर्जुनसिंह ने बस क्रं. एम0पी0 4 एन 7196 को लापरवाही पूर्वक चलाया और जब उसने उसकी पत्नी पार्वतीबाई उतर रही थी तब उसने लापरवाही पूर्वक बस को चला दिया जिस कारण उसकी पत्नी बस के नीचे दब गई जिससे उसकी मृत्यु हो गई। आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 3 में स्वीकार किया है कि दुर्घटना के समय बस खड़ी थी। आगे इस गवाह ने यह भी व्यक्त किया है कि दुर्घटना ड्रायवर की लापरवाही व उतावलेपन से घटित नहीं हुई। आगे इस गवाह ने यह भी व्यक्त किया है कि दुर्घटना के समय उसकी पत्नी स्वयं

बस से गिर गई थी जिससे उसे चोट पहुँची थी। जबकि यह गवाह स्वयं मृतक का पति है और इस गवाह ने ही अपनी मुख्य परीक्षा सूचक प्रश्न एवं प्रतिपरीक्षा के तथ्यों से घटना का समर्थन नहीं किया है।

6— अभियोजन साक्षी मारोति (अ0सा02) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि वह घटना के समय हनुमान मंदिर में प्रसाद लेने गया था वहां पर रोड पर बहुत भीड़ भाड़ थी तो वहां के लोग बताने लगे कि एक्सीडेंट हो गया। उसे नहीं मालूम की एक्सीडेंट किस वाहन से हुआ था। एक्सीडेंट से एक महिला को चोट आई थी। दुसरी बस से एक्सीडेंट हुआ था और दुसरी बस का ड्रायवर कौन था, उसे नहीं मालूम। इस गवाह को शासन की ओर पक्षविरोधी घोषित करने पर सूचक प्रश्न पूछने पर इस गवाह ने यह अस्वीकार किया है कि बस को आरोपी अर्जुन चला रहा था और उसने बस को कनौजिया मंदिर के सामने लापरवाही से चलाया और वहां पर उतर रहे कृष्णा एवं पार्वतीबाई के उतरने के पहले ही बस को चला दिया जिससे पार्वतीबाई बस के नीचे आ गई और उसी दुर्घटना के कारण पार्वतीबाई की मृत्यु हो गई। आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 3 में स्वीकार किया है कि वह घटना के समय घटना स्थल पर मौजूद नहीं था। आगे यह भी स्वीकार किया है कि घटना कौन से बस से कारित हुई उसे नहीं मालूम। इस प्रकार इस गवाह ने अपनी मुख्य परीक्षा, सूचक प्रश्नों एवं प्रतिपरीक्षा में आए तथ्यों से यह स्पष्ट नहीं होता है कि घटना दिनांक को अभियुक्त अर्जुनसिंह बस चला रहा था जिसकी उपेक्षा एवं लापरवाही से दुर्घटना घटित हुई।

7— अभियोजन साक्षी दिलीप (अ0सा03) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि घटना दिनांक को सफेद रंग की बस से लालावाडी से आमला जा रहा था। उसी बस में मृतिका पार्वतीबाई उसके पति के साथ बैठी हुई थी। वह डायवर को देख नहीं पाया था कि उस बस को कौन चला रहा था जैसी बस मंदिर के पास पहुँची तो उससे सवारी नीचे उतरने लगे। पार्वतीबाई के पति कृष्णा पहले बस से उतरे फिर उसके बाद पार्वतीबाई नीचे बस से उतर रही थी जैसी उसका पैर नीचे जमीन पर आया तो कन्डेक्टर ने घंटी बजा दिया जिससे डायवर ने बस को आगे बढ़ा दिया जिसके कारण पार्वतीबाई बस से नीचे आ गई जिसकी उसकी मृत्यु हो गई। डायवर और कन्डेक्टर की गलती से पार्वतीबाई की मृत्यु हुई थी। इस गवाह को शासन की ओर से पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर इस गवाह ने यह अस्वीकार किया है कि न्यायालय में उप0 आरोपी अर्जुन ही उस दिन बस को चला रहा था जिससे उसकी लापरवाही से बस चलने से पार्वतीबाई की मृत्यु हुई थी। आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 3 में स्वीकार किया है कि आरोपी अर्जुन बस को नहीं चला रहा था। आगे यह भी स्वीकार किया है कि कन्डेक्टर के घंटी बजाने के बाद ही डायवर ने गाड़ी आगे बढ़ाई थी। इस प्रकार इस गवाह ने अपनी मुख्य परीक्षा सूचक प्रश्नों से घटना घटित होने तथ्यों का समर्थन नहीं किया है।

8— अभियोजन साक्षी नरेन्द्र (अ0सा04) एवं अभियोजन साक्षी कृष्णा (अ0सा06) ने उक्त दोनों साक्षी जप्ती पत्रक प्र0पी0 4 एवं गिरफ्तारी पत्रक प्र0पी0 5 के साक्षी हैं। किन्तु उक्त दोनों साक्षियों ने जप्ती प्र0पी0 4 एवं गिर0 पत्रक प्र0पी0 5 का समर्थन नहीं किया है।

9— अभियोजन साक्षी कमला (अ0सा07) एवं राजू साहू (अ0सा011) ने अपनी मुख्य परीक्षा सूचक प्रश्नों से घटना का समर्थन नहीं किया है।

10— अभियोजन साक्षी बसंत मिरासे (अ0सा09) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि दिनांक 20/04/10 को मर्ग जांच डायरी प्राप्त होने पर शिवम् बस कं. एम0पी0 04 एच 7196 के चालक के विरुद्ध अपराध कं. 86/10 अंतर्गत धारा 304 ए भा0द0वि0 का अपराध दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0 8 लेख किया था जिसके ए से ए एवं बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को घटना स्थल पर जाकर प्रार्थी किसना निशानदेही पर घटना स्थल का नक्शा मौका प्र0पी0 1 तैयार किया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। विवेचना में आरोपी का नाम अर्जुनसिंह पता चला था। उसने दिनांक 21/04/10 को गवाह कृष्णा एवं नरेन्द्र के समक्ष आरोपी अर्जुनसिंह से शिवम् बस कं. एम0पी0 05 एच 7196 उसका फिटनेश परमिट बीमा रजिस्ट्रेशन कार्ड एवं आरोपी अर्जुनसिंह का डायविंग लायसेंस जप्त जप्ती पत्रक प्र0पी0 4 तैयार किया था जिसके सी से सी भागों पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को उन्हीं गवाहों के समक्ष आरोपी गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्र0पी0 5 तैयार किया था जिसके सी से सी भागों पर उसके हस्ताक्षर हैं। विवेचना के दौरान उसने वाहन का मैकेनिकल मुलाहिजा करवाया था जिसकी रिपोर्ट प्र0पी0 9 है विवेचना के दौरान प्रार्थी राजेन्द्र गवाह दिलीप, कमला, मारोति, राजू, किसना के कथन उनके बताये अनुसार लेख किया था। यह गवाह विवेचना अधिकारी हैं। घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं हैं। और प्रकरण में स्वतंत्र गवाहों ने घटना का समर्थन नहीं किया है। ऐसी परिस्थिति में इस गवाह के द्वारा की गई कार्यवाही महत्वहीन हो जाती है।

11— अभियोजन साक्षी के0एस0 ठाकुर (अ0सा010) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि दिनांक 20/04/10 को पुलिस चौकी धनतोली नागपुर से मृतिका पार्वतीबाई की मृत्यु के संबंध में मर्ग इन्टीमेशन प्र0पी0 10 मय प्र0पी0 11 एवं 12 के दस्तावेज की असल कायमी हेतु प्राप्त होने पर उसने पार्वतीबाई की मृत्यु के संबंध में मर्ग इन्टीमेशन प्र0पी0 13 लेख किया था जिसेक ए से ए भाग एवं बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। इस गवाह के द्वारा प्रकरण में मर्ग इन्टीमेशन प्र0पी0 10 की रिपोर्ट असल कायमी हेतु प्राप्त होने पर मर्ग इन्टीमेशन रिपोर्ट प्र0पी 13 लेखबद्ध की गई है यह गवाह घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं हैं। प्रकरण के स्वतंत्र गवाहों ने घटना का समर्थन नहीं किया है। ऐसी परिस्थिति में इस गवाह के द्वारा की गई कार्यवाही महत्वहीन हो जाती है।

12— उर्पयुक्त किए गए साक्ष्य एवं विश्लेषण से यह स्पष्ट नहीं है कि

अभियुक्त ने शिवम् बस कं. एम.पी. 04 एच 7196 का चालक होते हुये उक्त बस को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक तरीके से संचालित कर पार्वतीबाई को गिराकर ऐसी मृत्यु कारित की जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती। इस प्रकार विचारणीय प्रश्न कं 1 का निराकरण "अप्रमाणित" रूप से किया जाता है।

13- उर्पयुक्त अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से युक्ति-युक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्त ने शिवम् बस कं. एम.पी. 04 एच 7196 का चालक होते हुये उक्त बस को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक तरीके से संचालित कर पार्वतीबाई को गिराकर ऐसी मृत्यु कारित की जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती। इस प्रकार अभियुक्त अर्जुन भा0द0वि0 की धारा- 304 "ए" के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

14- प्रकरण में आरोपी के धारा 313 द0प्र0सं0 के पूर्व प्रस्तुत जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं। आरोपी का धारा 428 द0प्र0सं0 का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे।

15- प्रकरण में जप्तशुदा बस क्रमांक एम0पी0 04 एच 7196 पूर्व से आवेदक/सुपुर्दार अर्जुन पिता ढोकलसिंह नि0 बोडखी की सुपुर्दगी में है। उक्त वाहन के संबंध में किसी अन्य ने दावा नहीं किया है। अतः सुपुर्दनामा आदेश निरस्त किया जाता है। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश मान्य किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय मे हस्ताक्षरित एवं
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित।

(धनकुमार कुड़ोपा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, जिला बैतूल म0प्र0

(धनकुमार कुड़ोपा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
आमला, जिला बैतूल म0प्र0

